न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/22/2023

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2023/40

अपीलार्थी
मधु जांगिड पुत्री श्री हरिमोहन मांगिड,
नि0 ग्राम, पोस्ट व तहसील–मलारना डूँगर,
जिला–सवाईमाधोपुर (राज.)–322028

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 25.01.2023

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 07.02.2023

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांक: 14.12.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर स्वयं के विवाह प्रमाण–पत्र पंजीयन के संबंध में बिन्दुवार सूचना चाही गई थी।
4. सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांक: 20.01.2023 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से अपील के अनुसरण में पत्र सं. 299 दिनांक: 01.02.2023 के माध्यम से इस न्यायालय को जवाब प्रस्तुत कर प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है।
7. प्राप्त जवाब मय संलग्नक दस्तावेजात् का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक: 14.12.2022 के परिप्रेक्ष्य में पत्र सं. 262 दिनांक: 24.01.23 के माध्यम से अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है।
8. उक्त आलोक में **प्रथम अपील खारिज** कर निस्तारित की जाती है।
9. आज दिनांक: 07.02.2023 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)